दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आप.वि.वा. 2704/2023, आप.वि.आ.10176/2023

जय प्रकाश सिंघल .... याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री तन्मय मेहता सह श्री ललित वलेशा, अधिवक्तागण

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य ... प्रत्यर्थी

द्वारा : सुश्री नंदिता राव, अति.स्था.अधि. सह श्री अखंड प्रताप, वि.लो.अभि., श्री अमित पेसवानी, राज्य हेतु अधिवक्तागण के साथ सहा.पु.आयु. वीरेन्द्र कादयान सह श्री प्रदीप राय, अनुभाग-1, आर्थिक अपराध शाखा

निर्णय की तिथि : 18.04.2023

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश कुमार शर्मा

<u>निर्णय</u>

<u>दिनेश कुमार शर्मा, न्या. (मौखिक)</u>

<u>आप.वि.आ. 10177/2023 (छूट)</u>

सभी न्यायसंगत अपवादों के अध्यधीन छूट प्रदानित।

<u>आप.वि.वा. 2704/2023</u>

1. वर्तमान याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई हैः

i. याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा, 170, 186, 353, 384, 386, 368, 419, 420, 506,120ख तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-घ व महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत थाना विशेष प्रकोष्ठ / आर्थिक अपराध शाखा में पंजीकृत प्राथमिकी संख्या 208/2021 एवं उपरोक्त प्राथमिकी से उद्भूत सभी कार्यवाहियों को रद्द किए जाने के लिए आवश्यक आदेश और निर्देश पारित करें;

ii. आवश्यक आदेश और निर्देश पारित किए जाए जिससे याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी किए गए लुक आउट सर्कुलर को रद्द किया जा सके ताकि वह भारत वापस लौट सके और जांच प्रक्रिया में शामिल हो सके;

iii. श्री शैलेंद्र मलिक, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली जिला, पटियाला हाउस द्वारा प्राथमिकी संख्या 208/2021 में एससी/308/2021 शीर्षक "राज्य बनाम सुकेश चंद्र शेखर व अन्य" के मामले में थाना विशेष प्रकोष्ठ / आर्थिक अपराध शाखा में पारित आदेश दिनांकित 10.04.2023 को रद्द करने के लिए आवश्यक आदेश और निर्देश पारित करें;

iv. आवश्यक आदेश और निर्देश पारित करें जिससे याचिकाकर्ता के खिलाफ थाना विशेष प्रकोष्ठ / आर्थिक अपराध शाखा में पंजीकृत प्राथमिकी संख्या 208/2021 से उत्पन्न कार्यवाही पर रोक लगाई जा सके और वर्तमान याचिका के विचाराधीन रहने के दौरान गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया जा सके;

v. कोई अन्य अनुतोष या आदेश, जिसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में माननीय न्यायालय उचित एवं उपयुक्त समझे, भी आवेदक के पक्ष में दिया जा सकता है।"

2. हालाँकि, श्री तन्मय मेहता, विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वह उपयुक्त समय पर उक्त अभिवचन प्रस्तुत करने के अध्यधीन वर्तमान याचिका में की गई अपनी प्रार्थनाओं पर जोर नहीं देना चाहते हैं। तथापि, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आदेश दिनांकित 10.04.2023 के माध्यम से विद्वान विशेष न्यायाधीश अभियुक्त को दिनांक 10.04.2023 से जांच में शामिल होने हेतु निर्देशित करने के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत कार्यवाहियों को वापस लेने में प्रसन्न थे।
3. विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उसके तुरंत बाद उन्होंने अग्रिम ज़मानत के लिए दिनांक 13.04.2023 को आवेदन किया था, जो अब दिनांक 20.04.2023 के लिए सूचीबद्ध है।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि यदि विद्वान विशेष न्यायाधीश दिनांक 20.04.2023 को अग्रिम ज़मानत के आवेदन को सुनते हैं तथा निर्णित करते हैं, तो उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन यदि अग्रिम ज़मानत के लिए आवेदन किसी अन्य कारण से स्थगित कर दिया जाता है तो उनका मुवक्किल आदेश दिनांकित 10.04.2023 के अनुसार उपचारहीन हो जाएगा। उसके पास कोई विधिक उपचार नहीं होगा।
5. सुश्री नंदिता राव, विद्वान अति.स्था.अधि. ने इस आधार पर प्रार्थना का विरोध किया है कि वास्तव में, इस प्रार्थना की आड़ में, याचिकाकर्ता

अग्रिम ज़मानत / अंतरिम संरक्षण की मांग कर रहा है जो विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा प्रदान नहीं किया जा रहा है।

6. मेरा विचार है कि मामले के सभी गुणागुणों पर विचार किए बिना, याचिकाकर्ता को विद्वान विशेष न्यायाधीश के आदेश दिनांकित 10.04.2023 के अनुसार जांच में शामिल होने दें जब विशेष प्रकोष्ठ / आर्थिक अपराध शाखा द्वारा निर्देश दिए जायें | हालांकि, यदि विद्वान विशेष न्यायाधीश दिनांक 20.04.2023 को आवेदन पर निर्णय लेंगे, तो कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि, दिनांक 20.04.2023 को आवेदन पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो आदेश दिनांकित 10.04.2023 के अनुसार 10 दिनों का समय और 10 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा।

7. यह न्यायालय विद्वान विचारण न्यायालय से अनुरोध करता है कि वे आवेदन पर दिनांक 20.04.2023 को या यथासंभव शीघ्र निर्णित करें।

8. 10 दिनों की अवधि को और 10 दिनों के लिए बढ़ाया जाता है। लंबित आवेदन के साथ याचिका का निपटान विधि के अनुसार उचित विधिक कार्रवाई करने की स्वतंत्रता के साथ किया जाता है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुणागुण पर ध्यान नहीं दिया है तथा पक्षकारगण अपने अभिवचनों को उचित स्तर पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

10. दस्ती आदेश।

दिनेश कुमार शर्मा, न्या.

18 अप्रैल, 2023
पल्लवी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*